समाचार

अतिक्रमण कर बनाए गए बाउण्ड्रीवाल को हटाया निगम ने

(आज भी जारी रही अवैध होर्डिंग विज्ञापन पोस्टर हटाने की कार्यवाही)

कोरबा 20 अप्रैल 2022 – नगर पालिक निगम कोरबा के अतिक्रमण दस्ते द्वारा आज प्रशासन व पुलिस बल की उपस्थिति में शारदा विहार क्षेत्र में अतिक्रमण कर बनाई गई अवैध बाउण्ड्रीवाल को तोड़कर हटा दिया गया, वहीं शहर के विभिन्न क्षेत्रों में बिना अनुमति अवैध रूप से लगाए गए होर्डिंग्स विज्ञापन पोस्टर फ्लैक्स आदि को हटाने की कार्यवाही आज भी जारी रही।

यहॉ उल्लेखनीय है कि आयुक्त श्री प्रभाकर पाण्डेय द्वारा अतिक्रमण व अवैध कब्जे के प्रति कड़ा रूख अख्तियार करते हुए नए होने वाले अतिक्रमणों पर सतत नजर रखने एवं इन पर निरंतर कार्यवाही किए जाने के निर्देश निगम के अधिकारियों को दिए गए हैं। शारदा विहार क्षेत्र में एक व्यक्ति द्वारा अतिक्रमण करते हुए अवैध रूप से बाउण्ड्रीवाल का निर्माण करा लिया गया था, कोरबा तहसीलदार तारा सिदार, अतिक्रमण प्रभारी योगेश राठौर तथा पुलिस बल की उपस्थिति में आज निगम के अतिक्रमण दस्ते ने कार्यवाही करते हुए उक्त बाउण्ड्रीवाल को जे.सी.बी.के माध्यम से तोड़कर हटाया तथा स्थल को अवैध कब्जे से मुक्त कराया।

अवैध होर्डिंग हटाने की कार्यवाही जारी– अतिक्रमण दस्ता प्रभारी योगेश राठौर ने बताया कि निगम के अमले द्वारा आज भी शहर के चौक–चौराहों, सड़कों के किनारे, डिवाईडरों में स्थित विद्युत पोल एवं अन्य सार्वजनिक स्थानों पर बिना अनुमति के अवैध रूप से होर्डिंग फ्लैक्स विज्ञापन पोस्टर आदि को हटाने की कार्यवाही आज भी की गई तथा इस कड़ी में शहर के विभिन्न स्थानों के साथ–साथ सर्वमंगला जोन के मुख्य मार्गो से भी अवैध होर्डिंग पोस्टर अतिक्रमण दस्ते द्वारा हटाए गए। उन्होने बताया कि निगम की यह कार्यवाही आगे भी निरंतर जारी रहेगी।

अतिक्रमण न करें, असुविधा से बचे– आयुक्त श्री प्रभाकर पाण्डेय ने आमजन से अपील करते हुए कहा है कि वे निगम व शासकीय जमीनों, सार्वजनिक स्थानों आदि में अतिक्रमण व अवैध कब्जा का प्रयास न करें, सड़क के किनारे, फुटपाथ व पार्किंग स्थलों में ठेला, गुमठी लगाकर आवागमन में बाधा व पार्किंग व्यवस्था में अवरोध उपस्थित न करें। उन्होने कहा है कि बिना अनुमति के सड़कों, विद्युत पोलों, सार्वजनिक स्थानों आदि में विज्ञापन होर्डिंग, प्रचार प्रसार सामग्री, पोस्टर बैनर आदि न लगाएं, निगम द्वारा अवैध कब्जा हटाने व बिना

अनुमति लगे पोस्टर बैनर, विज्ञापन होर्डिंग आदि को हटाने की कार्यवाही निरंतर की जाएगी, अतः कार्यवाही से होने वाली असुविधा से बचे।